न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः– 87 / 2015

वादीगण

1. मोहनराम पुत्र रामूराम
2. मोहनीदेवी पत्नी मोहनराम जाति जाट निवासी उदयपुरा तहसील कुचामनसिटी
3. धन्नाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी लिचाणा तहसील नावां जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पन्नाराम पुत्र श्योजीराम
2. किशनाराम पुत्र श्योजीराम
3. बन्नाराम पुत्र श्योजीराम
4. रामेश्वरलाल पुत्र श्योजीराम
5. बगतीदेवी पत्नी श्योजीराम
6. राजूराम पुत्र हीराराम
7. मांगी पत्नी हीराराम
8. चौथी पत्नी दुलाराम (फौत)
   8/1 मोहनराम पुत्र डालूराम
   8/2 चूनाराम पुत्र दूलाराम
9. चूनाराम पुत्र दुलाराम
10. मोहरी पत्नी चूनाराम
11. गीतादेवी पत्नी राजूराम
12. भोलूराम पुत्र बागाराम (फौत)
    12/1 बालूराम दत्तक पुत्र पेमाराम
13. रूकमादेवी पत्नी धन्नाराम
14. धन्नाराम पुत्र गोपीराम
15. भंवरलाल पुत्र पेमाराम
16. प्रभूराम पुत्र पेमाराम
17. छोटूराम पुत्र पेमाराम
18. बालूराम पुत्र पेमाराम
19. पूसाराम पुत्र पेमाराम
20. रामकरण पुत्र पेमाराम
21. मोहनराम पुत्र डालूराम जाति समस्त जाट निवासी ग्राम उदयपुरा तह. कुचामनसिटी
22. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी
23. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।

.....2...

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

24. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया बैंक शाखा जिलिया।
25. दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड शाखा कुचामन सिटी।

वाद बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती व भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88 व 53 R.T.Act 1955

उपस्थित :– श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

श्री श्याम सुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण 3 4 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 30/01/2017

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई । वकुलाय वादी उपस्थित । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है । निवेदन है कि माफिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री फरमाई जावें । उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री पर बहस सुनाई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्राथमिक डिक्री दिनॉक 16.01.2017 एवं तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पत्रांक/भू.अ./139 दिनॉक 30.01.2017 का अवलोकन एवं वकील वकुलाय की बहस का मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्राथमिक डिक्री अनुसार ही बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होने से निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है ।

आदेश

वाद वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि ग्राम उदयपुरा के खसरा नम्बर 859 रकबा 0.14 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 863 रकबा 0.07 हैक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 864 रकबा 5.38 हैक्टर मे से 4.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 865 रकबा 2.75 हैक्टर मे से 1.375 हैक्टर पूर्वी तरफ का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खसरा नम्बर 864 के रकबे तथा खसरा नम्बर 865 के शेष रकबे तथा खसरा नम्बरान 867 1366/866 872 873 874 875 881 882, 869 870 871 876 877 878 879 880 मे से वादीगण का नाम हटाया जाता है तथा वादीगण का हिस्सा पूर्ववत बैंक के रहन रखा जावें। प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 को ग्राम उदयपुरा के खसरा नम्बर 882 रकबा 2.62 हैक्टर में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 का नाम शेष खसरा नम्बरान 859 863 864 867 1366/866, 872 873 874 875 881, 869 870 871 876 877 878 879 880,865 में से नाम हटाया जाता है, प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 का हिस्सा पूर्ववत सम्बन्धित बैंक के नाम रहन दर्ज रखा जावे। शेष खाता ब दस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार

....3...

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी । बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें । तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त अनुसार पालना हेतु लिखा जावें ।

आदेश आज दिनॉक 30/1/17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)